



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को **03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु०अ०सं० 249/2016, धारा- 354बी,506 भा०द०सं० व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा **अभियुक्त सुन्नू पुत्र भगू चुरेर** निवासी ग्राम उमरी थाना बिवार जनपद हमीरपुर को **03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री अवधनरेश
सिंह चन्देल



विवेचक उ०नि० श्री
सियाराम राजपूत



पैरोकार बिवार
का० प्रेम सिंह